FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **सरकार बनाम सुरेश यादव** **सेशन प्रकरण संख्या – 34/2023(46/2023), सीआईएस संख्या – 34/2023**	Brief note of Compliance of Order
18.02.2025	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त सुरेश यादव जेसी से जरिये वीसी उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 216 दण्ड प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत बहस उभय पक्षकारान गत पेशी पर सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने कथन किए गए प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध बाद अनुसंधान धारा 341, 302, 307, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25(1)(i–B), 5/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट में चालान पेश किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2024 को प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 302, 307, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25(1)(i–B), 5/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट में आरोप विरचित किए गए। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर न्यायालय द्वारा धारा 307 भादस का आरोप विरचित किया गया है एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान की सामग्री के अनुसार जिसमें परिवादी के धारा 161 सीआरपीसी एवं धारा 164 सीआरपीसी के बयान भी है उसमें धारा 307 भादस के सघटक नहीं बनते क्योंकि शांति देवी के बयानों में यह अंकित है कि आरोपी जब गोली चलाने लगा तो गोली अटक गई। यह कहीं भी अंकित नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश यादव ने शांति देवी के किस स्थान पर गोली चलाने के लिए बंदूक तानी। गवाह ने यह भी कथन नहीं किया कि अभियुक्त ने उसके सिर पर पर उस स्थान पर बंदूक तानी, अगर गोली चल जाती तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती। इन सामग्री का पत्रावली पर अभाव है। यह भी कथन किया कि उस पर जिस गंडासे से बार किया उससे उसने शांति देवी के शरीर के उस भाग पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु होना संभव था। जो आरोप विरचित किए गए है उसमें परिवादी की माता के साधारण चोट कारित होने का अंकन है तथा पत्रावली पर कोई भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है जिसमें गवाह शांति देवी पर जानलेवा हमला कारित किया हो। अतः प्रार्थी/अभियुक्त पर 307 भादस के अपराध का जो आरोप विरचित किया गया है उसमें परिवर्तन किया जाना आवश्यक है क्योंकि उस पर अपराध अंतर्गत धारा 307 भादस का आरोप नहीं बनता है। अतः धारा 307 भादस के आरोप से अभियुक्त को उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया। अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्यायिक–दृष्टांत पेश किए – 1 Leela Devi & Ors. Vs. State of Rajasthan 2017(1) CJ(Cri.) (Raj.) 423 2 Roopa Ram & ors. Vs. State of Rajasthan 2020 (3) Cr.L.R. (Raj.) 897 3 State of Bihar Vs. Ramesh Singh Cr. L.R. (SC) 1977 4 Panchu lal & Anr. Vs. State of Rajasthan & Ors. 2019 (3) CJ(Cri.) (Raj.) 1327 5 Daljit Singh & Anr. Vs. State of Rajasthan & Anr. 2021 (4)	

उक्त प्रार्थना का अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दौराने बहस अपर लोक अभियोजक ने कथन किया कि प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए है जो सही है। पूर्व में बहस चार्ज सुनी जाकर विस्तृत आदेश के द्वारा ही न्यायालय द्वारा आरोप कि विरंचना की गई है। आहत शांति देवी ने अपने पुलिस बयान में उनकी मोटरसाइकिल के कार से पीछे से टक्कर मारना, उसके पुत्र अशोक का पांव गाड़ी के नीचे दबाकर उसके सिर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाना फिर उसकी तरफ बंदूक तानकर गोली चलाने के लिए घोड़ा दबाया तो वो अटक गयी तथा दो–तीन बार कट–कट करने के बाद नहीं चली तो गाड़ी का फाटक खोलकर अंदर से एक तलवारनुमा गंडासा निकालकर उसको मारने के लिए लपकना तथा यह कहना कि उसके एक बेटे को तो मार दिया, अब उसकी व उसके छोटे बेटे राजेन्द्र को मारकर उसके खानदान को खत्म कर देगा। इसी प्रकार अपने धारा 164 सीआरपीसी के बयानों में भी उसके उपर गोली चलाने लगा तो गोली अटक गई व नहीं चली तो सुरेश यादव कार से नीचे उतरा तथा कार में से गंडासा निकालकर उस पर वार किया तो सामने की ढ़ाणी से 2 लड़के आ गए। उक्त कथनों से स्पष्ट है कि आहत शांति देवी ने अपने उपर अभियुक्त द्वारा बंदूक तानकर गोली चलाने का कथन किया है परंतु गोली चली नहीं तथा गंडासे से वार करने का प्रयत्न किया गया जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त के द्वारा उसकी हत्या का प्रयास किया गया। उक्त अपराध का आरोप पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त का आरोपित अपराध में संलित होना प्रथमदृष्टया प्रकट होने पर ही विरचित किया गया है। आरोप के प्रक्रम पर साक्ष्य का सुक्ष्म विवेचन एवं विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती है। आरोप विरचित किए जा चुके है, जिनमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मात्र प्रकरण में विलंब कारित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने परिवादी राजेन्द्र व उसकी माता शांति देवी के बयान प्राथमिकता से लेखबद्ध करने के निर्देश दे रखे है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 216 सीआरपीसी अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307 भादस के अपराध का आरोप आहता की साक्ष्य से नहीं बनना पाए जाने से उसे उक्त आरोप से उन्मोचित किए जाने का निवेदन करते हुए विरचित आरोप में संशोधन किया जाकर धारा 307 भादस का आरोप हटाने का निवेदन किया तथा यह कथन किया गया कि शांति देवी के बयानों में यह अंकित है कि आरोपी गोली चलाने लगा तो गोली अटक गई। यह कहीं भी अंकित नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने शांति देवी के किस स्थान पर गोली चलाने के लिए बंदूक तानी। गवाह ने यह भी कथन नहीं किया कि उसके शरीर पर उस स्थान पर बंदूक तानी, अगर गोली चल जाती तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती। उस पर जिस गंडासे से वार किया, उससे उसने शांति देवी के शरीर के उस भाग पर वार किया, जिससे उसकी मृत्यु होना संभव था। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी राजेन्द्र यादव के भाई अशोक यादव एवं उसकी माता शांति देवी जो कि सरदार सिंह की ढ़ाणी की तरफ जाने वाली आम सड़क पर

	मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे कि मृत्यु कारित करने के आशय से कार से उन्हें टक्कर मारने, जिससे वे नीचे गिर गए, अशोक के पांव के उपर गाड़ी चढ़ाकर, गाड़ी का शीशा खोलकर बंदूक तानकर उसके सिर में गोली मारकर उसकी मृत्यु कारित करने फिर आहता शांति देवी की तरफ बंदूक तानकर गोली चलाने के लिए घोड़ा दबाया तो वो अटक गयी तथा दो–तीन बार कट–कट करने के बाद नहीं चली तो गाड़ी का फाटक खोलकर अंदर से एक तलवारनुमा गंडासा निकालकर उसको मारने के लिए लपकने के अपराधों का आरोप है। शांति देवी के पुलिस बयान में अभियुक्त द्वारा उनके पीछे से आकर कार लगाकर जोरदार टक्कर उनकी मोटरसाइकिल को मारना अपने पुत्र के सिर में ताबड़तोड़ गोलिया मारना तथा कार से उस पर गोली चलाना गोली नहीं चलने पर गंडासे से लपटना यह कहना कि उसके एक बेटे को तो मार दिया, अब उसकी व उसके छोटे बेटे राजेन्द्र को मारकर उसके खानदान को खत्म कर देगा का कथन अपने धारा 161 सीआरपीसी के बयानो में किया है इसी प्रकार धारा 164 सीआरपीसी के बयानों में भी गवाह ने उसके उपर गोली चलाने लगा तो गोली अटक गई व नहीं चली तो सुरेश यादव कार से नीचे उतरा तथा कार में से गंडास निकालकर उस पर वार करने का अंकन किया है। आहता शांति देवी ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा गोली चलाने पर दो–तीन बार कट–कट करने के बाद गोली नहीं चलने का कथन किया है तथा गोली का बंदूक में अटकने का कथन किया है जिसके फलस्वरूप गोली नहीं चली। यद्यपि उक्त गोली चल जाती तो अवश्य ही मृत्यु कारित करती या उसके शरीर के किसी अंग को चोटिल करती। इस संबंध में फर्द जब्ती अवैध पिस्टलनुमा बन्दूक पत्रावली पर है। जिसमें अभियुक्त के कब्जे से जब्तशुदा एक अवैध पिस्टलनुमा हथियार जिसके चैंबर व मैग्जीन में दो जिन्दा कारतूस फंसे हुए व एक मैग्जीन जिसमें पांच जिन्दा कारतूस भरे हुए मिले का अंकन है। अर्थात उक्त पिस्टल में दो जिंदा कारतूत फंसे हुए होने का अंकन है, उक्त पिस्टल खाली रही हो ऐसा उक्त फर्द जब्ती से प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। आहता के उक्त कथनो एवं फर्द जब्ती के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि अभियुक्त के द्वारा आहता शांति देवी की मृत्यु कारित करने के आशय से ही उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई तथा मोटरसाइकिल के गिरने के उपरांत अशोक के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कारित करने, तत्पश्चात शांति देवी पर पिस्टल तानना एवं गोली चलाने के लिए घोड़ा दबाया जाना, गोली पिस्टल के अंदर अटक जाने व दो–तीन बार कट–कट करने के बाद भी नहीं चलने, तत्पश्चात अभियुक्त द्वारा गाड़ी का फाटक खोलकर अंदर से एक तलवारनुमा गंडासा निकालकर आहता को मारने का प्रयास करने का तथ्य गवाह के कथनों से प्रकट हुआ है तथा जिसकी पुष्टि में फर्द जब्ती में अभियुक्त से बरामदशुदा पिस्टल में दो जिंदा कारतूस फंसे हुए भी पाए गए है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त कथनों एवं जब्ती से प्रथमदृष्टया प्रकट है कि अभियुक्त द्वारा आहता की हत्या का प्रयास किया गया। **इस संबंध में धारा 307 भादस के प्रावधानों का अवलोकन किया जाए तो उक्त विधिक प्रावधानों में यह अंकित है कि जो किसी कृत्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता।** इस प्रकार से प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा आहता की मृत्यु कारित करने के आशय से या ज्ञान से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारना, तत्पश्चात बंदूक तानकर गोली चलाने के लिए घोड़ा दबाना, गोली का अटकने के कारण उसका नहीं चलना, तत्पश्चात तलवारनुमा गंडासे	

से आहता पर लपकना यह प्रकट करता है कि अभियुक्त द्वारा आहता की मृत्यु कारित करने के आशय से उनकी मोटरसाइकिल के कार से टक्कर मारी जिसमें असफल रहने पर बंदूक तानकर घोड़ा दबाया लेकिन गोली अटकने के कारण उसमें असफल रहने पर तलवारनुमा गण्डासे से उस पर लपककर उसकी हत्या का प्रयास कारित किया गया। यद्यपि गवाह के द्वारा यह नहीं बताया गया कि उसके शरीर के किस भाग, किस अंग पर बंदूक तानी गई परंतु गवाह ने अपने उपर बंदूक का तानना एवं बंदूक का घोड़ा दबाए जाने का कथन किया है जो अभियुक्त द्वारा मृत्यु कारित करने के आशय से ही तानी जाना प्रथमदृष्टया प्रकट होता है।

दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि आहता के गोली लगने से शरीर पर कोई चोट नहीं आई है तथा कोई चोट आती तथा वे प्राणघातक होती तभी धारा 307 भादस का आरोप विरचित किया जा सकता है। यह भी कथन किया कि अभियुक्त के द्वारा यदि कार से उनकी मोटरसाइकिल के टक्कर मारी गई थी तो उसके लिए 279 व 337 भादस के आरोप विरचित किए जा सकते है, धारा 307 भादस का अपराध नहीं बनता है। यह भी कथन किया कि बंदूक से गोली इसलिए नहीं चली क्योंकि बंदूक खाली थी। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा उसकी हत्या का प्रयास किया गया हो यह तथ्य साक्ष्य से प्रकट नहीं होने से उसे धारा 307 भादस के अपराध से उन्मोचित किए जाने का कथन किया। इस संबंध में अभियुक्त द्वारा दिए गए उक्त तर्कों के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो पत्रावली पर आहता का चोट प्रतिवेदन विद्यमान है। यद्यपि उक्त चोटे साधारण प्रकृति की है उनमें किसी प्रकार की गंभीर प्रकृति की चोटे नहीं है परंतु धारा 307 भादस के प्रावधानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रावधान में दो भाग है। जिसके प्रथम भाग में यह अंकित है कि ''जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा'' तत्पश्चात यह अंकित है कि "और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिन– पूर्ण वर्णित है। '' उक्त विधिक प्रावधानों के प्रथम भाग से यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य के लिए उपहति होना आवश्यक नहीं है। उपहति कारित करने पर अपराधी को भिन्न दण्ड से दण्डित किए जाने का प्रावधान है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त का कार्य इस प्रकृति का है कि वह इस आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में किया जाए कि यदि वह कार्य मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता परंतु उक्त कार्य द्वारा यदि हत्या नहीं होती है तो वह हत्या का प्रयास है। उक्त विधिक प्रावधानों के साथ दृष्टांत 'क' में यह उल्लेखित है कि य का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थिति में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती, तो क हत्या का दोषी होता, क इस धारा के अधीन दण्डनीय है। इसी प्रकार दृष्टांत 'ग' में यह उल्लेखित है कि य की हत्या का आशय रखते हुए क एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया है। य पर क बंदूक चलाता है। उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और यदि इस प्रकार गोली मार कर वह य को घायल कर देता है तो वह इस धारा के प्रथम पैरा के पिछले भाग द्वारा उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय है। इस प्रकार उक्त दोनो न्यायिक– दृष्टातों ये यह स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर मृत्यु कारित

	करने के आशय या ज्ञान के साथ बंदूक चलाई जाती है तो इस धारा के अधीन प्रथम भाग में परिभाषित अपराध घटित हो जाता है और यदि वह गोली चलाकर अन्य व्यक्ति को घायल कर देता है तो वह उक्त धारा के द्वितीय भाग में दण्डनीय होता है। हस्तगत प्रकरण में आहता शांति देवी पर उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से अभियुक्त के द्वारा गोली तानकर उसका घोड़ा दबाना, दो–तीन बार कट–कट करने की आवाज आना फर्द जब्ती में बरामदशुदा पिस्तल में दो जिंदा कारतूस फंसे होने का तथ्य यह प्रथमदृष्टया प्रकट करता है कि अभियुक्त के द्वारा आहता शांति देवी की बंदूक चलाकर मृत्यु कारित करने का प्रयास किया गया। यद्यपि गोली बंदूक में अटकने के कारण चली नहीं परंतु यदि वह चल जाती तो अभियुक्त उस कार्य द्वारा शांति देवी की मृत्यु कारित कर देता तथा वह उसकी हत्या का दोषी होता। पिस्टल खाली होना फर्द जब्ती से प्रकट नहीं है। गवाह ने भी अपने कथनो में गोली से उसके पुत्र अशोक की मृत्यु कारित करना बताया है। अतः पिस्टल खाली होना प्रथमदृष्टया प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त विधिक प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथमदृष्टया अभियुक्त द्वारा आहता शांति देवी की मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर गोली चलाकर उसकी हत्या का प्रयास करने का तथ्य प्रकट है। इसके अतिरिक्त आहता ने अपने कथनों में अभियुक्त के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल को जानबुझकर पीछे से आकर टक्कर मारने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने इसके लिए धारा 279 व 337 का अपराध होना बताया है। जबकि धारा 279 भादस का अपराध लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षा से वाहन चलाना या हांकना एवं धारा 337 भादस में उपेक्षा एवं उतावलेपन से ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित होने के संबंध में प्रावधान किया गया है। उक्त दोनो ही प्रावधानों में मृत्यु कारित करने के आशय या ज्ञान का अभाव है जबकि आहता ने अपने कथनों में अभियुक्त द्वारा जानबुझकर पीछे से आकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारना बताया है। अतः उक्त कृत्य उपेक्षा या उतावलेपन से किए गए हो यह प्रथमदृष्टया साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। अतः धारा 279 व 337 भादस के अपराध में आरोप विरचित नहीं किए जा सकते। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टांत Leela Devi & Ors. Vs. State of Rajasthan 2017(1) CJ(Cri.) (Raj.) 423 में क्षति सामान्य प्रकृति की थी तथा वे भौंतरे हथियार से कारित की गई थी, अस्थिभंग नहीं केवल घटनास्थल से गन बरामद हुई तथा वह भी खाली, मृत्यु कारित करने का आशय निष्कर्षित नहीं किया जाना माना परंतु हस्तगत प्रकरण में आहता द्वारा जिस पिस्टल द्वारा उस पर गोली चलाना बताया है वह पिस्टल अभियुक्त से बरामद हुई है। जिसमें आहता के कथनानुसार दो जिंदा कारतूस भी पाए गए। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में आहता के कथनों एवं जब्ती के आधार पर अभियुक्त का मृत्यु कारित करने का आशय प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। अतः उक्त न्यायिक–दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अन्य न्यायिक–दृष्टांत Roopa Ram & ors. Vs. State of Rajasthan 2020 (3) Cr.L.R. (Raj.) 897 में बांये हाथ पर दो गंभीर चोटे पायी, कुंद हथियार द्वारा चोटे कारित की, कपाल तथा छाती की चोटे साधारण थी, चिकित्सा साक्ष्य नहीं कि चोटे प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त थी। धारा 307 भादस आरोप विरचन का आदेश अपास्त किया गया। परंतु हस्तगत प्रकरण में आहता के द्वारा भौंतरे हथियार से उस पर हमला कर चोटे कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किए बल्कि उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर, उस पर पिस्टल तानकर	

	घोड़ा दबाने एवं गोली बंदूक में अटकने का कथन किया है तथा तत्पश्चात तलवारनुमा गंडासे से उस पर लपकने का कथन किया गया है। अतः ऐसी दशा में उक्त न्यायिक–दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है। अन्य न्यायिक दृष्टांत State of Bihar Vs. Ramesh Singh Cr. L.R. (SC) 1977 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रारंभिक स्तर पर सत्यता व साक्ष्य के प्रभाव सुक्ष्मता से निर्णित नहीं करने, प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ किए जाने तथा विचारण के अंतिम प्रक्रम पर उसके युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। न्यायालय के द्वारा हस्तगत प्रकरण में जो चार्ज विरचित किए जाते है वे प्रथमदृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ही विरचित किए जाते है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रक्रम पर साक्ष्य का सूक्ष्म विवेचन, विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप विरचित किए गए है उनमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। अतः आरोप में संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक–दृष्टांत भी हस्तगत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा विरचित आरोप में कोई संशोधन किया जाना न्यायालय को प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 28.02.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	